समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ____ /2016 निगरानी R - 3947 - I-16

बुध्धू पिता श्री लिली ढीमर निवासी ग्राम गुनौर तहसील गुनौर जिला पन्ना

............आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ....अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 के तहत विरूद्ध तहसीलदार गुनौर जि0 पन्ना के प्रकरण क 45/अ–6 /2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारंभिक तथ्य :–

1. यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा राजीव गान्धी आश्रय योजना के अंतर्गत म.प्र. शासन नगरीय कल्याण विभाग केपरिपत्र क एफ13.5.90/46 भोपाल दिनांक 11.6.98 तथा म.प्र. राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24.6.98 के परिपालन में प्रदेश के समस्त शहरी /आवासीय एंव भूमिहीन गरीब के लिये स्थायी व्यवस्था हेतु राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पटटा देने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना के समक्ष दिया जिस पर से प्रकरण क 622/बी–121 /1997–98 दर्ज करते हुये तहसीलदार गुनौर जिला पन्ना से प्रतिवेदन मंगाते हुये आदेश दिनांक 22.7.1988 के अनुसार ग्राम गुनौर पट. हल्का नं 17 तहसील गुनौर में स्थिति आ.ख. नम्बर 1153 के अंश भाग 310 वर्ग फीट का चोहडी में डिपो पश्चिम में बसन्त की जमीन उत्तर में तहसील वाउन्ड्री दक्षिण में दसोदा का मकान कुल रकवा 310 वर्ग फीट का पटटा स्वीकृत किया गया जिस पटटा के अमल किये जाने हेतु आवेदक द्वारा तहसीलदार न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-3947-एक/2016 जिला पन्ना बुध्धू विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार गुनीर के प्रकरण क्रमांक 45/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

28.12.18

लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य